[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना सं. 68/2024 – सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2024

सा.का.नि. ..... (अ) - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 की उपधारा (2) के खंड (कख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 67/2022-सीमा शुल्क (गै.टे.) के तहत जारी यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022, जिसे दिनांक 8 अगस्त, 2022 की सा.का.नि. सं. 621(अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन विनियमों को यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022 में, विनियम 5 में, उप-विनियम (4) को "प्रत्येक विमान संचालक यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना प्रस्थान समय से चौबीस घंटे पहले और प्रस्थान के समय- जब पहिए बंद हो जाएं, स्थानांतरित करेगा" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-21/90/2022-अन्वे.-सीमा शुल्क-सीबीईसी]

Poonam 22/10/24

(पूनम भट्ट)
उप सचिव (तस्करी-रोधी इकाई)

टिप्पणी: यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड(i) में दिनांक 8 अगस्त, 2022 की सा.का.नि. सं. 621(अ) के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।